अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

188/2021/बाज.प्रा.प. किशना V/s छीतर

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर
	2021/188
	श्री G.S. लखावत श्री ज्ञानचंद गाडिया - 17, 18

किशना बनाम छीतर वगैरह

1.10.21 बाजदायरी प्रार्थना पत्र पेश हुआ। अभिभाषक प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 17, 18 उपस्थित। अभिभाषक उभयपक्ष को प्रार्थना पत्र पर बहस सुना गया।

अभिभाषक प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र निवेदन किया कि अपील में मान्नीय न्यायालय के द्वारा बरवक्त लगवाये जाने आवाज अपीलांट/अभिभाषक की अचानक तबियत खराब हो जाने के कारण वे घर चले गये और किसी को इस बाबत् कह नहीं पाये और ना ही इस बाबत् न्यायालय को सूचना दी गयी इसलिए मान्नीय न्यायालय द्वारा अपील को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज फरमा दी। अपीलांटस के अभिभाषक ने अपीलांट को यह आश्वासन दे रखा था कि हर पेशी पर आने की आवश्यकता नहीं है जब भी जरूरत होगी सूचना कर देगें इस कारण से प्रार्थी/अपीलांट नियत दिनांक को मान्नीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सका। न्यायहित में उक्त अपील को पुनः नम्बर पर लिया जाकर अपील की सुनवाई गुणावगुण पर किया जाना आवश्यक है ताकि प्रार्थी के साथ उचित न्याय हो सकें।

मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि बाजदायरी प्रार्थना पत्र को स्वीकार फरमा कर अपील को पुनः नम्बर पर लिया जाकर गुणावगुण पर निर्णित किये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 17, 18 ने दौराने जवाब/ बहस प्रार्थना पत्र निवेदन किया कि मान्नीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.07.2021 को अपीलांट एवं उनके अभिभाषक उपस्थित नहीं होने के कारण अपील के अदम हाजरी एंव अदम पैरवी में खारिज किया है जो विधि सम्मत है। प्रस्तुत बाजदायरी प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जावें।

अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं प्रार्थना पत्र बाजदायरी व अपील का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन प्रकरण तकनीकी बिन्दु पर खारिज नही किये जाकर, मेरिट पर निस्तारण किये जाना चाहिए इसलिए बाजदायरी प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अपील को गुणावगुण पर निस्तारण करना उचित समझते है।

अतः बाजदायरी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अपील को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते है।

(हस्ताक्षर)
राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर